



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फाइल. सं. NCST-16011(MP)/79/2021-RO-Bhopal (ESDW)

दिनांक: 03.01.2023

सेवा में,

श्री छगन बारीया,
ग्राम तलावपाडा,
तहसील सरदारपुर,
जिला- धार,
मध्य प्रदेश

विषय: तलावपाडा गांव की जमीन को किसानों को दिलाए जाने के सम्बंध में श्री छगन बारीया एवं अन्य, ग्राम तलावपाडा, तहसील सरदारपुर, जिला- धार, मध्य प्रदेश का दिनांक 23.03.2021 का अभ्यावेदन

महोदय,

निर्देशानुसार आपको सूचित किया जाता है की आयोग के माननीय सदस्य श्री अनंत नायक जी ने आपके मामले में सम्बंधित प्राधिकारियों के साथ दिनांक 13.01.2023 को अपराह्न 12:00 बजे, आयोग मुख्यालय, नई दिल्ली में सुनवाई/सिटिंग तय की है। सम्बंधित प्राधिकारी को आयोग में उपस्थित होने के लिए अलग से समन जारी कर दिया गया है।

2. अतः आपसे अनुरोध है की उक्त सुनवाई/सिटिंग की तिथि को आयोग में उपस्थित होने का कष्ट करें।

भवदीय


(एच. आर. मीना)
अनुसंधान अधिकारी